



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272944
CG-DL-E-29052026-272944

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2613]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2613]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2706(अ).—केंद्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (ii) में संख्या एसओ 3987 (अ) में प्रकाशित हुई है, में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, श्रेणी II. बंदरगाहों में, क्रम संख्या 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्: -

38. दहेज़ (गुजरात)
39. सिक्का (गुजरात)
40. टूना टेकरा (गुजरात)".

[फा सं. 25022/15/2023-आप्र.(पार्टी)]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (ii) दिनांक 1 सितंबर, 2025 में एसओ संख्या 3987 (अ), दिनांक 1 सितंबर, 2025 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O. 2706(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O.3987(E), dated the 1st September, 2025, namely:-

In the said notification, in the Table, in category II. SEAPORTS, after serial number 37 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

- “38. Dahej (Gujarat)
- 39. Sikka (Gujarat)
- 40. Tuna Tekra (Gujarat)”.

[F. No. 25022/15/2023-Imm (Part)]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 1st September, 2025 *vide* number S.O. 3987 (E), dated the 1st September, 2025.